### न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट नं-- 7 लखीमपुर खीरी

प्राठदी० सं०–1267 / 2017 सी० आर०सं०– 1259 / 2017 सी०एन०आर० नं०–UPLP06-003489-2017

1—समशुददीन उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र अलानूर उर्फ अनिल निवासी ग्राम कुकरा पर, कुकरा, तहसील गोला, जिला खीरी 2—फखरूददीन उम्र करीब 43 वर्ष पुत्र अलानूर उर्फ अनिल निवासी ग्राम कुकरा पर कुकरा, तहसील गोला जिला खीरी। .........वादीगण

#### बनाम

1–आसमां बानो उर्फ आशा उम्र करीब 48 वर्ष पुत्री अलानूर उर्फ अनिल पत्नी कायम सिंह निवासी ग्राम कुकरा तहसील गोला जिला खीरी।

.....प्रतिवादिनी

### <u>निर्णय</u>

1- संदर्भित दीवानी वाद वादीगण द्वारा विरुद्ध प्रतिवादिनी दावा निरस्तीकरण वसीयतनामा हेतू संस्थित किया है। वास्ते 2- संक्षेप में वादीगण द्वारा वादपत्र में यह अभिकथन किया है कि वादीगण विवादित भूमि गाटा संख्या 0.882 हे0 व भूमि गाटा संख्या 1162 रकबा 0.365 हे0 लगानी 15.35 रू० स्थित ग्राम जटपुरवा परगना कुकरा, जिला खीरी के स्वामी मालिक काबिज दखील अध्याशी काश्तकार है। विवादित भूमि वादीगण की सगी बहन व भांजे की पुश्तैनी सम्पत्ति है। मृतक जब तक जीवित रहा वादीगण के घर रहा। वादीगण मृतक की सेवा सत्कार दवा इलाज करते रहे चूँकि आरिफ बेग के माता पिता की मृत्यु आरिफ बेग के बचपन में हों हो गयी थी। इस कारण वादीगण ने सेवा की। मृतक वादीगण का सगा भांजा था। वादीगण मृतक के वैध उत्तराधिकारी है तथा कथित वसीयत कर्ता मुस्लिम सम्रदाय का व्यक्ति था। मुस्लिम विधि के प्राविधान प्रभावी है। प्रतिवादिनी अपने पति कायम सिंह व अन्य लोगों के बहकावे में थी। इस कारण वादीगण व मृतक आरिफ बेग के साथ छल कपट विश्वासघात कर फर्जी रूप से <sup>1</sup>मृतक की सम्पत्तियों की फर्जी वसीयत दिनांक 27.06.2002 को अपनें नाम करवा ली तथा फर्जी वसीयत पर वादी सं01 का नाम गवाह के रूप में दर्ज करा ली तथा फर्जी वसीयत पर वादी सं01 का नाम गवाह के रूप में दर्ज करा दिया। वादी सं01 के सामने निष्पादित नही हुई। वादीगण व मृतक सीधे सादे भोले व्यक्ति (7) अनपढ है। सहज ही लोगों पर विश्वास कर लेते है। वैश्वासिक सम्बन्धों का नाजायज फायदा उठाते हुये एनकेन प्रकारेण प्रतिवादिनी ने लेखक व गवाहान से साजिश रच कर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर आरिफ बेग का फोटो लगाकर फर्जी वसीयत लिखाकर नोटरी वकील से प्रमाणित करवा कर वादीगण की सम्पत्ति हड़पने की साजिश रचकर फर्जी व कूटरचित वसीयत निष्पादित करा ली, जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 06.11. 2017 को जब प्रतिवादिनी जबरिया कब्जा करने आयी मना करने पर वसीयत दिखायी तथा वादीगण द्वारा इन्टरनेट इंतखाब लेने पर जांच पड़ताल मुआइना करने पर हुई। चूँकि वसीयत पंजीकृत नही है। इस कारण प्रतिलिपि प्राप्त नही हो सकती। प्रतिवादिनी ने गोला के टाईपिस्ट दिलीप श्रीवास्त से साठ गांठ कर धोखा धड़ी छलकपट कर वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित फर्जी वसीयत निष्पादित करायी है। प्रथम दृष्टया संदिग्ध व फर्जी है। तथाकथित वसीयत पूर्णतया फर्जी संदिग्धं व साजिशी वैश्वासिक सम्बन्धों का नाजायज दुरूपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके निष्पादित करायी गयी है। तथाकथित वसीयत पर मृतक आरिफ का निशानी अंगूठा नही लगा है। तथाकथित वसीयत मृतक ने निष्पादित नही की है। विवादित भूमि पर वादीगण काबिज अध्यासी है। विवादित भूमि से प्रतिवादिनी का कोई वास्ता सरोकार नही है और न रहा है। तथा कथित वसीयत मुस्लिम विधि के प्राविधानों के विपरीत है। मुसलमान अपनी समस्त समपत्ति की वसीयत निष्पादित नही कर सकता। तथा कथित वसीयत फर्जी अस्तित्वहीन दस्तावेज है, जिसका कोई वैधानिक महत्व नही है लेकिन उसके अस्तित्व में बने रहने से वादीगण के हित प्रभावित हो सकते हो। प्रतिवादिनी का उक्त कृत्य सराशर नाजायज तथा वादीगण के स्वत्वों को आघात पहुँचाने वाला है। वादीगण अधिकारी है कि जरिये न्यायालय निरस्तीकरण वसीयतनामा की आज्ञप्ति के माध्यम से वसीयत निरस्त करवा सके आवश्यकता दावा हुई। वाद का कारण स्थान ग्राम जटपुरा पगरना कुकरा तहसील गोला जिला खीरी में दिनांक 27.06.2002 को जब प्रतिवादिनी ने विवादित वसीयत धोखे से निष्पादित करायी। तदुपरांत दिनांक 06.11.2017 को जब प्रतिवादिनी जबरिया विवादित भूमि पर कब्जा करने आयी मना करने पर वसीयत दिखायी तथा वादीगण द्वारा इन्टनेट इंतखाब लेने पर जांच पडंताल मुआइना करने पर फर्जी वसीयत की जानकारी हुई। न्यायालय श्रीमान जी की निर्णयाधिकार सीमा में उत्पन्न हुआ। न्यायालय श्रीमान जी की निर्णयाधिकारी सीमा के अनुसार वाद का मूल्यांकन मु० ४६०.५० रू० कायम किया जाता है, जो विवादित भूमि के वार्षिक लगान 15.35 रू० के 30 गुने के समतुल्य है। निरस्तीकरण वसीयत की आज्ञप्ति हेतु लगान मु0 15.35 के 10 गुने मु0 153.50 के पंचमांश मु0 30.70 पर प्रदत्त न्याय शुल्क मु0 3.50 रू० का न्याय शुल्क अदा किया जाता है। चूंकि वादींगण पक्ष वसीयत नही है। विवादित भूमि अलावा मृतक के पास अन्य सम्पत्तियां नही थी। वादीगण निम्नलिखित अनुतोष की याचना( करते हैं। आज्ञप्ति निरस्तीकरण वसीयतनामा वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादिनी पारित कर वाद पत्र की धारा–2 में वर्णित वसीयत निरस्त की जावे।

· • • •

3- प्रतिवादिनी की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादिनी कम पढी लिखी बेहुनर पर्दानशीन महिला है। साक्षरता अभियान में हस्ताक्षर बनाना सीखा है। प्रतिवादिनी अपने भाईयों वादीगण के साथ मायके में रहती थी वहीं आरित बेग भी रहता था। आरिफ बेग की सेवा सत्कार दवा इलाज वादीगण व प्रतिवादिनी व उसके मायके वाले करते थे। आरिफ बेग वादीगण व उनके परिवार वालों की सेवाओं से सन्तुष्ट था। आरिफ बेग वादीगण के नाम वसीयत करना चाहता था, किन्तु वादीगण के आग्रह पर विवादित वसीयत प्रतिवादिनी के नाम हो गयी। यह बात सत्य है कि आरिफ बेग ने विवादित वसीयत प्रतिवादी के नाम की किन्तु वसीयत का समस्त खर्चा वादीगण ने वहन किया। विवादित भूमि प्रतिवादिनी के नाम दर्ज कागजात है किन्तु विादित भूमि से प्रतिवादिनी का कोई वास्ता व सरोकार नही है। विदित भूमि पर वादीगण काबिज अध्यासी हैं। प्रतिवादी बेनामी स्वामिनी है। प्रतिवादिनी विवादित भूमि की न तो स्वामी है और न काबिज है। विवादित भूमि वादीगण के कब्जे व स्वामित्व में है। विवादित वसीयत निरस्त कर भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर दी जावे। प्रतिवादीनी को आपत्ति नही है।

4— पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय आदेश दिनांकित 29.08.2018 द्वारा वाद बिंदु सं0 1 ता 4 विरचित किये गये है, जो इस प्रकार है :--

- 1- क्या वादीगण वादपत्र में किये गये अभिकथनों के
  - आधार पर वसीयतनामा निरस्त करा पाने का अधिकारी हैं?
- 2- क्या दावा अल्पमूल्यांकित है?
- 3- क्या वादीगण द्वारा अदा किया गया न्यायाशुल्क पर्याप्त है?
- 4- क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी हैं?

5- वादीगण द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची प्रपन्न सं0 23ग1 के माध्यम से एक किता मूल वसीयतनामा दिनांकित 27.06. 2002, सूची प्रपन्न सं0 6ग के माध्यम से एककिता नकल वसीयतनामा छायाप्रति फेरिस्त का0सं0 7ग/1 ता 7ग/3, एककिता खतौनी ग्राम जटपुरा कुकरा का0सं0 ग8/1, 78/2, सूची इन्खाब खतौनी खाता विवरण का0सं0 ग9/1, 79/2 दिनांकित 06.11.2017, एककिता आधार कार्ड फकरूददीन खान का0सं0 ग10/1 एकिता आधार कार्ड कमरूददीन का0सं0 710/2, एककिता आधार कार्ड शमसुददीन का0सं0 71/3, तथा सूची प्रपन्न सं0 26ग1 के माध्यम से एककिता जो0च0 आकार पत्र 45 ग्राम जटपुरा का0सं0 26ग1/2, एककिता आकार पत्र 41 ग्राम जटपुरा, गाटा संख्या ११४३–११६२ का०सं० २६ग१/३ व 26ग1/4 तथा एककिता आकार पत्र 23 चक संख्या 236 ग्राम जटपुरा का०सं० २६ग१ / ५ दाखिल किया गया है। अन्य कोई अभिलेखीय साक्ष्य वादीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

274 4

वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य शपथपत्र 6— शपथपत्र पी०डब्लू०१ शमशुददीन पुत्र अलानूर तथा साक्ष्य पी०डब्लू०२ कालीचरन पुत्र नरपत दाखिल किया गया है।

7- प्रतिवादिनी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नही किया गया है, न ही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

## <u>8– निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–01</u>

वाद बिन्दु संख्या 01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण वादपत्र में किये गये अभिकथनों के आधार पर वसीयतनामा निरस्त करा पाने का अधिकारी हैं? इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि वादीगण की बहन व भांजे की पुश्तैनी सम्पत्ति है। मृतक जबतक जीवित रहा, वादीगण के घर रहा। वादीगण मृतक की सेवा सत्कार व इलाज करते रहे। चूंकि आरिफ बेग के माता पिता की मृत्यु आरिफ बेग के बचपन में ही हो गयी थी। कथित वसीयतकर्ता मुस्लिम समप्रदाय का व्यक्ति था। वादीगण मृतक के वैद्य उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादिनी अपने पति कायम सिंह व अन्य लोगों के बहकावे में थी। इस कारण वादीगण व मृतक आरिफ बेग के साथ छल कपट विश्वासघात कर फर्जी रूप से मृतक की सम्पत्तियो की फर्जी वसीयत दिनांक 27.06.2002 को अपने नाम करा ली तथा फर्जी वसीयत पर वादी सं01 का नाम गवाह का नांम दर्ज करवा लिया। वैश्वासिक सम्बन्धों को नाजायज फायदा उठाते हुये ऐन--केन प्रकारेण प्रतिवादिनी ने लेखक व गवाहान से साजिश रचकर किसी अन्य व्यक्ति को खडाकर आरिफ बेग का फोटो लगाकर फर्जी वसीयत कराकर, नोटरी वकील से प्रमाणित करवाकर वादीगण की सम्पत्ति हड़पने की साजिश कर फर्जी व कूटरचित वसीयत निष्पादित कर ली, जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 06.11.2017 को, जब प्रतिवादिनी कब्जा करने आयी, जब प्रतिवादिनी ने वसीयत दिखाई तथा वादीगण द्वारा इन्टरनेट लेने पर जॉच पड़ताल मोईना करने पर हुई। प्रतिवादिनी ने गोला के टाइपिस्ट दिलीप श्रीवास्त से सांठ गांठ इन्तखाब कर धोखा धड़ी व छल कपट कर प्रश्नगत वसीयत निष्पादित करायी तथा कथित वसीयत पर मृतक का निशानी अंगूठा नही लगा है तथा कथित वसीयत मुस्लिम विधि के प्राविधानों के विपरीत है। मुस्लमान अपनी समस्त सम्पत्ति की वसीयत निष्पादित 🤶

नही कर सकता। उक्त कथनों के आधार पर वाद बिन्दु सं01 के निस्तारण के लिये न्यायालय को निम्नलिखित तथ्यां का विचारण करना है।

9— वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि वह मृतक आरिफ बेंग के वादीगण वैद्य उत्तराधिकारी हैं, जो नाते में वादीगण का भांजा है. परन्तु वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे मुस्लिम विधि के अनुसार उत्तराधिकारियों की किस श्रेणी में आते हैं, हिस्सेदार अथवा अवशिष्ट। वादी के मात्र कथन कर देने से यह पुष्ट नहीं किया जा सकता कि वह मृतक वसीहतकर्ता का वैध उत्तराधिकारी है। वादी द्वारा वाद पत्र में कोई वंशावली भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वादीगण के इस सन्दर्भ में प्रस्तुत कथनों की पुष्टी नहीं होती है।

10- वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि वसीयतकर्ता मुस्लिम सम्प्रदाय का व्यक्ति था, परन्तु वादीगण द्वारा यह कथन नही किया गया है कि वह किस मुस्लिम समप्रदाय का व्यक्ति था, शिया, सुन्नी या कोई अन्य मुस्लिम सम्प्रदाय, क्योंकि मुस्लिम विधि के अनुसार उक्त मुस्लिम सम्प्रदाये की शाखाओं में वसीयत हेतु विधि भिन्न हैं।

**11**— वादीगण ने यह कथन किया है कि फर्जी वसीयत पर वादी सं01 का नाम बतौर गवाह संख्या 01 के रूप में दर्ज है। प्रतिवादिनी ने प्रतिवादीपत्र में यह कथन किया है कि वादीगण के आग्रह पर विवादित वसीयत प्रतिवादिनी के नाम हुई है एंव वसीयत का सारा खर्चा वादीगण ने वहन किया है। इस कथन के विरुद्ध वादीगण ने कोई कथन प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी सं01 को इस वसीयत का भली भॉति जात था।

12– वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रतिवादिनी ने साजिश के तहत आरिफ बेग की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर आरिफ बेग का फोटो लगाकर फर्जी वसीयत नोटरी वकील से प्रमाणित करवाकर वादीगण की सम्पत्ति हडपने की साजिश रची व फर्जी वसीयत निष्पादित करा ली। वादीगण का यह कथन कि उक्त वसीयत वादीगण की सम्पत्ति हड़पने की एवज में निष्पादित करायी गयी है, अस्वीकार्य है, क्योंकि वादीगण द्वारा स्वंय यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि वादीगण की सगी बहन व भांजे की पुश्तैनी सम्पत्ति है। इस प्रकार वादीगण के उक्त कथन अस्पष्ट व एक दूसरे के विरोधाभासी हैं।

13— वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि कथित वसीयत मुस्लिम विधि के प्रावधानों के विरूद्व है, क्योंकि मुस्लिम विधिक के(🔨 अनुसार वसीयतकर्ता अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत एक व्यक्ति के नाम नहीं कर सकता। वादीगण का यह कथन सही है कि मुस्लिम विधि के अनुसार वसीहत कर्ता अन्य वारीसान के अस्तित्व में होते हुए अपनी सम्पती का केवल 1/3 भाग ही वसीहत करने हेतु सक्षम होगा। वसीहत कर्ता को अपनी सम्पत्ती के 1/3 भाग से अधिक भाग की वसीहत करने के लिए अपने अन्य वारीसान से अनुमति लेनी होगी। मेरे मत में वसीहतकर्ता की वसीहत करने की शक्ती पर यह अंकुश इस लिए लगाया गया है जिससे कि वसीहतकर्ता के अन्य वारीसान दीन, निराश्ररित व निसहाय न हो जायें।इस तर्क को अधिकारिक अनुमति Sale's Koran, Sura IV and Preliminary discourse-Section VI से प्राप्त है जिसके अनुसार "Hedaya, 671. But the limit of onethird is not laid down in the KoranThis limit derives sanction from a tradition reported by Abee Vekass. It is said that the Prophet paid a visit to Abec Vekass while the latter was ill and his life was despaired of. Abee Vekass had no heirs except a daughterand he asked the Prophet whether he could dispose of the whole of his property by will to which the Prophet replied saying that he could not dispose of the whole, nor even two-thirds, nor one-half, but only one-third: Hedaya671. But though the limit of one-third is not prescribed by the Koranthere are indications in the Koran that a Mahomedan may not so dispose of his property by will as to leave his heirs destitute" परन्तु यह तर्क वादी के वाद पर लागू नहीं होता है। क्योंकि वादी द्वारा यह कथन नहीं किया गया है

2700 6

heirs destitute" परन्तु यह तर्क वादी के वाद पर लागू नहीं होता है। क्योंकि वादी द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि वह वसीहतकर्ता के वारीसान की किस श्रेणी में आता है। वादीगण द्वारा दाखिल की गई वसीहत में वसीहतकर्ता द्वारा यह स्पष्ट मंशा व्यक्त की गई है कि उसका इस दुनिया में कोई अन्य वारिस नहीं है। यदि मुस्लिम व्यक्ति का कोई अन्य वारिस नही है उस स्थिति में केवल 1/3 भाग की ही वसीयत कर पाने का अंकुश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है एंवम यह अंकुश वसीहतकर्ता

22001

पर लागू नहीं होगा। 14— वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि तथाकथित वसीहत पर मृतक का निशानी अंगूठा नहीं लगा है व वसीहत प्रथम दृष्टया संदिग्ध व फर्जी है।मोहोमडन विधि के अनुसार लिखित वसीहत पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य नहीं है और यदि वसीहत हस्ताक्षरित भी हो तब उस पर साक्ष्यांकन की विधिक बाध्यता नहीं है। हस्ताक्षर या साक्ष्यांकन न भी हो तब भी वसीहत मान्य होगी । इस विधी का जिक्र वजीर बी बनाम पुनी बेगम ए०आई०आर० 1986 " A mohammadan will though in writing does not required to be signed nor even if sign does it require attestation. The reason is that a mohammadan will does not require to be in writing at all.

- -

15— इस पत्रावली में वादी द्वारा साक्षियों के साक्ष्य शपथपत्र 04.01.2019 को दाखिल किये गयें हैं जिसपर प्रतिवादी द्वारा जिरह न करने का कथन आदेश पत्रिका दिनांकित 28.01.2019 पर अंकित किया गया है एंवम प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य भी दाखिल नहीं किया गया है जिससे कि पक्षकारों में कपट संधी होना प्रतीत होता है।

उक्त बिन्दुओं के आलोक में यह स्पष्ट है कि वादी वाद बिन्दु संख्या 1 को साबित करने में विफल रहा है। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

# 16- <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-2 व 3</u>

वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 पूर्व में निर्णित किये जा चुके हैं।

### 17- निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-4

चूकी वाद बिन्दु संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित किया जा चुका है इसलिए वाद बिन्दु संख्या 4 भी वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

18 उपरोक्त समस्त विश्लेषण के उपरांत न्यायालय का यह मत है कि वादीगण अपना वाद साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। तद्नुसार वादीगण का वाद निरस्त किये जाने योग्य है। <u>आदेश</u>

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे । पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल हो।

अपसे सिविल जिज् (जूर्वाईव कोर्ट नं0-07, लखीमपुर-खीरी। जे0ओ0 कोड—यू०पी0—03420

दि0-26.04.2023

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एव दिनॉकित करके उद्घोषित किया गया ।

सयो मिर्विल् जज् (जूर्य कोर्ट नं0–07, लेखीमपुर-खीँरी। जे0ओ0 कोड—यू०षी0—03420

दि0-26.04.2023

sin, seen Dog